वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई

गुरुवार, 17 अप्रैल को पहले दिन की कार्यवाही के स्थगन के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी सुनवाई जारी रखी। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा की जा रही है, साथ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं।

बुधवार को लगभग 100 याचिकाओं की दो घंटे की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जिनमें अदालतों द्वारा वक़्फ़ घोषित की गई संपत्तियों को अनुमोदित करने की शक्ति और केंद्रीय वक़्फ़ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुसलमानों को शामिल करना शामिल है। मुख्य न्यायाधीश ने 2025 के अधिनियम के कारण पश्चिम बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को "बहुत चिंताजनक" भी कहा।

by OJAANK IAS

वक़्फ़ संशोधन अधिनियम का विधायी यात्रा

1 लोक सभा पारित

विधेयक 3 अप्रैल, 2025 को लोक सभा में 288 सदस्यों के समर्थन और 232 के विरोध के साथ पारित किया गया।

2 राज्य सभा अनुमोदन

विधेयक 4 अप्रैल, 2025 को राज्य सभा में 128 सदस्यों के पक्ष और 95 के विरोध के साथ पारित हुआ।

3 राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिनियम बनाने के लिए अपनी सहमति दी।

4 सुप्रीम कोर्ट की चुनौती

अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनकी सुनवाई 16 अप्रैल, 2025 से शुरू हुई।

वक़्फ़ संशोधन अधिनियम अपने पेश होने से ही विवादास्पद रहा है, जिसे सरकार ने वक़्फ़ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय के रूप में बचाया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने *द हिंदू* को बताया है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा के तहत प्रमुख प्रावधान

विनिर्देशन शक्तियाँ

न्यायालयों द्वारा वक़्फ़ घोषित संपत्तियों, जिनमें "उपयोगकर्ता द्वारा वक़्फ़" वाली भी शामिल हैं, को विनिर्देशित करने की शक्ति, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि यह "बहुत बड़ी समस्या" होगी।

गैर-मुस्लिम सम्मिलन

केंद्रीय वक़्फ़ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, जिसके बारे में न्यायालय ने प्रश्न किया कि क्या इसी तरह हिंदू धार्मिक न्यासों में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा।

प्रशासनिक नियंत्रण

वक़्फ़ संपत्तियों पर बढ़ते सरकारी पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन विवादास्पद प्रावधानों को आगे की सुनवाई तक स्थगित करने का प्रस्ताव किया है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने जोर देकर कहा कि "वक़्फ़ बोर्डों और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के," जिससे धार्मिक स्वायत्तता को लेकर चिंताएं उभरकर सामने आईं।

न्यायमूर्ति के धार्मिक उदारता पर टिप्पणी

> "जब हम यहां बैठते हैं, तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए, एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है।"

केंद्र की तुलना

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि अगर गैर-मुस्लिम वक़्फ बोर्डों पर नहीं हो सकते, तो हिंदू न्यायाधीश वक़्फ मामलों को सुनने नहीं चाहिए।

न्यायमूर्ति का प्रतिक्रिया

न्यायमूर्ति खन्ना ने इस तुलना को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जोर देकर कहा कि न्यायाधीश अपनी धार्मिक पहचान को त्याग देते हैं जब वे वेश पहनते हैं।

प्रतिप्रश्न

"क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि अल्पसंख्यकों, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, को हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में भी शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इसे स्पष्ट रूप से कहें।"

इस आदान-प्रदान ने न्यायिक अधिकरण और धार्मिक संस्थानों के प्रशासनिक प्रबंधन के बीच मूलभूत अंतर को उजागर किया। न्यायमूर्ति की टिप्पणियों ने न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर जोर दिया, जबकि सरकार के वक़्फ प्रशासन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के तर्क पर सवाल उठाया।

📞 कॉल करें - 8750711100/22/33/44/55 📲 8285894079

सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

मौलाना यासूब अब्बास

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने न्यायपालिका में आशा व्यक्त की, कहा कि "अदालत ने कल मामले की सुनवाई करने का तरीका देखकर हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर न्यायपालिका न्याय नहीं देती, तो व्यक्ति कहां जाएगा?"

प्रमोद तिवारी

कांग्रेस नेता ने कहा कि "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए सवाल वही हैं जो कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति में उठाए थे," यह कहते हुए कि अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह कार्रवाई करे।

माहुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस सांसद और अधिनियम के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अदालत के प्रस्तावित आदेशों का स्वागत किया, कहा कि वह "खुश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के तीन वास्तव में घृणित पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है।"

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगभग पार्टी रेखाओं के साथ आई हैं, जहां विपक्षी नेता अदालत की जांच का स्वागत करते हैं, जबकि सरकार के प्रतिनिधि इस कानून को आवश्यक सुधार के रूप में बचाव करते हैं।

सामुदायिक तनाव और संवैधानिक चिंताएं

हिंसा का फूटना

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने पश्चिम बंगाल में 2025 अधिनियम के कारण उत्पन्न हुई सांप्रदायिक हिंसा को "बहुत चिंताजनक" बताया

समुदाय की अपीलें

धार्मिक नेताओं ने लोगों से कानूनी प्रक्रिया के दौरान "एकता और भाईचारे को बनाए रखने" की अपील की

संवैधानिक प्रश्न

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन करता है

न्यायिक हस्तक्षेप

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का उद्देश्य आगे की तनावपूर्ण स्थिति को रोकना है

वक्फ संशोधन अधिनियम ने कई राज्यों में तनाव पैदा कर दिया है, जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्पन्न हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। मौलाना यासूब अब्बास ने लोगों से कानूनी प्रक्रिया के दौरान शांति और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की है।

याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वायत्तता और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में राज्य की भूमिका को लेकर मौलिक प्रश्न उठाए हैं। न्यायालय का ᴩप्रोच प्रशासनिक सुधार और धार्मिक प्रथाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने का सुझाव देता है।

पारदर्शिता बनाम धार्मिक स्वायत्तता वाद

सरकार का रुख

सरकार ने वक़्फ संशोधन अधिनियम को वक़्फ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया है। अधिकारी दावा करते हैं कि सुधार व्यवस्थापन प्रथाओं को आधुनिक बनाएंगे और वक़्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेंगे।

समर्थक दावा करते हैं कि संशोधन विवाद समाधान को सरल बनाएंगे और इन धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए एक अधिक कुशल प्रणाली बनाएंगे, जिससे अंततः मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

आलोचक और याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि अधिनियम संविधान द्वारा गारंटीशुदा मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। वे तर्क देते हैं कि वक़्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना इन संस्थानों के धार्मिक चरित्र को मूलभूत रूप से बदल देता है।

द हिंदू को बताया गया है कि संशोधन धार्मिक मामलों में अनुचित दखल प्रतिनिधित्व करते हैं और मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को विशेष नियमन के लिए चिह्नित करके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न इस मूलभूत तनाव को प्रतिबिंबित करते हैं जो प्रशासनिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच है। यह कि क्या मुस्लिमों को हिंदू संस्थानों के बोर्डों पर भी शामिल किया जाएगा, इस पर प्रश्न उठाकर, न्यायालय ने सरकार के विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रति दृष्टिकोण में संभावित असंगतता पर प्रकाश डाला।

कानूनी चुनौती में अगले कदम

जारी सुनवाइयां

सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार, 17 अप्रैल, 2025 को दोपहर 2 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता की और जांच करने के लिए सुनवाइयां फिर से शुरू करेगा। लगभग 100 याचिकाएं दायर होने के कारण, कार्यवाही व्यापक होने की उम्मीद है।

अंतरिम आदेश

अदालत ने विखंडन शक्तियों और वक्फ बोर्डों पर गैर-मुस्लिम शामिल होने सहित प्रमुख प्रावधानों को स्थगित करने का प्रस्ताव किया है। केंद्र ने इन सुझावों का विरोध किया है और ऐसे निर्देश जारी होने से पहले और सुनवाइयों की मांग की है।

अंतिम फैसला

सभी पक्षों को सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश की पीठ भारत भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाला और संविधान के तहत धार्मिक स्वायत्तता के लिए पूर्वाग्रह स्थापित कर सकने वाला एक फैसला सुनाएगी।

इस मामले के परिणाम का प्रभाव केवल वक्फ प्रशासन पर ही नहीं, बल्कि भारत में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के व्यापक सिद्धांतों पर भी पड़ेगा। अदालत का アプローチ प्रशासनिक कुशलता और धार्मिक प्रथाओं के लिए संवैधानिक संरक्षण दोनों पर सावधानीपूर्वक विचार करता है।

Follow Ojaank Sir

Ojaank

IAS with Ojaank Sir

Ojaank_Sir

IAS with Ojaank Sir

Free PDF Content

पाने के लिए अभी JOIN करें

8285894079

8285894079

👉 हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समान UPSC Special Current News PDF प्राप्त करें: www.ojaank.com

👉 दैनिक मुफ्त अंग्रेजी समाचार PDF लिंक:
https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine

👉 दैनिक मुफ्त हिंदी समाचार PDF लिंक : https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine